(अहतियात, रोकथाम और पीड़ितों के पुनर्वास) विधेयक को संशोधनों के साथ पेश और पारित किया जाए। इस कानून द्वारा राजनेताओं, प्रशासन (नौकरशाही) और विभाग पुलिस को दंगा प्रभावित क्षेत्रों में उनके कामों के लिए जवाबदेह ठहराया जाए और सांप्रदायिक दंगों के पीड़ितों को वास्तविक न्याय दिलाया जाए।

(6) ☆ केंद्रीय स्तर के सभी सुरक्षा नियमों जैसे UAPA (Unlawful Activities Prevention Act, यानी आतंकवाद को रोकने के लिए बनाया गया केंद्रीय कानून), AFSPA (Armed Forces (Special Powers) Act यानी जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों मणिपुर, असम, मेघालय आदि में लागू विशेष कानून), NIAA (National Investigation Agency Act 2008) मतलब (26/11 के मुंबई हमले के बाद आतंकवाद की रोकथाम के लिए बनाया गया कानून) इसी तरह के राज्य कानूनों MCOCA (Maharashtra Control of Organized Crime Act, यानी महाराष्ट्र में संगठित अपराध विशेषकर आतंकवाद को रोकने के लिए बनायागया क़ानून), IT Act 2000 (Information Technology Act 2000) और ऐसे ही अन्य कानूनों को रद्द किया जाए। अंतरराष्ट्रीय कानून (International Covenant of Civil and Political Rights मतलब अंतरराष्ट्रीय करार नागरिक और राजनीतिक अधिकार हेतु) में वर्णित सिद्धांतों के समान नियम बनाए जा सकते हैं।

Convention against Torture and other Cruel,

लिए नागरिक संस्थाओं, विधानसभाओं और संसदीय चुनाव क्षेत्र सुरक्षित (Reserve) किए जाएं।

☆ बहु मुस्लिम आबादी वाले चुनाव क्षेत्रों की नई हदबंदी (Delimitation) और उन्हें SC, ST और महिलाओं के लिए सुरक्षित (Reserve) कर मुस्लिम वोटों को बेअसर करने की अनुचित मुस्लिमद्वेष नीति समाप्त की जाए। इसके लिए एक राष्ट्रीय परिसीमन आयोग (National Delimitation Commission) स्थापित किया जाए जो प्रभावी मुस्लिम आबादी वाले चुनाव क्षेत्रों की दोबारा हदबंदी कर के मुसलमानों के लिए आरक्षित करे।

☆ सन 1950 का राष्ट्रपति अध्यादेश समाप्त किया जाए जिसके माध्यम से आरक्षण का लाभ उठाने के लिए SC और ST की पहचान कुछ विशेष धर्मों के अधीन की गई है।

☆ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की अल्पसंख्यक पहचान बहाल की जाए।

☆ महाराष्ट्र में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का क्षेत्रीय केंद्र स्थापित करने के लिए उचित जगह और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएं।

☆ क्षेत्रीय और अल्पसंख्यक भाषाओं के संवैधानिक संरक्षण के लिए महाराष्ट्र में मराठी और उर्दू विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाए। जिनमें सभी फेकलटीज (Faculties) मौजूद हों।

☆ किसी भी भाषा का वर्ग जारी करने के लिए छात्रों की न्यूनतम संख्या 20 और स्कूल खोलने के लिए छात्रों की न्यूनतम संख्या 100 है। लेकिन उर्दू के मामले में यह संख्या 30 और 150 है जो कि सरासर अन्याय और भेदभाव की